1-4-25

पत्रावली पेश हुयी। वादी/प्रति॰ वजुमाय उप॰ रहे। वादी/प्रति॰ के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली के अवलोकन एंव बहस से स्पष्ट है कि दावे मे अंकित वादी व प्रतिवादीगण का नाम विवादित आराजी के बाबत जमाबन्दी मे अंकित नही है। वादी ने स्वयं को तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता. 3 को जमाबंदी मे अंकित नामो के व्यक्तियो के मृत होने एंव इनके वारीसान के रूप मे वर्णित किया है परन्तु मृत होने सबंधी कोई साक्ष्य यथा मृत्यू प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि एक सह-काश्तकार अपने अन्य सहकाश्तकार के विरूद्ध इस प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा संबधी वाद प्रस्तुत नही कर सकता है; यह कानूनन रूप

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारा[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामील [illegible] जारी हुए
	रूप से पोषणीय नहीं है, अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रमुख रूप से कथन किया कि इस प्रकार का वाद लाया जाना कानूनन प्रतिबन्धित नहीं है।	
	पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस प्रकार के वाद जो धारा-188 राज. काश्त. अधि. के तहत प्रस्तुत किया गया है कि के तहत सहकाश्तकार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है जैसा कि अविभक्त आराजी पर प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच पर हिस्सानुसार कब्जा माना जाता है एवं यदि सहकाश्तकार को कोई समस्या है तो वह विवादित आराजी का विभाजन करवाकर स्वयं के हिस्से के संबंध में इस प्रकार का दावा प्रस्तुत कर सकने का पात्र रहेगा।	
	अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नि. 11 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। यह फैसला मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में आज दिनांक 01.04.25 को सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	
	[signature] उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)	